<u>प्रारूप–घ</u>

न्यायालयः–श्रीमति रिजवाना कौसर,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर ज़िला इन्दौर (म.प्र.)

Reg./Case No.RCT/ 76/ 2020
Filing No.:- RCT /321/ 2020
CNR No.:-MP0907000344/2020
Filing Date : 06-03-2020

(निर्णय तिथि–24-09-2024)
(दाण्डिक प्रकरण क्रमांक RCT-NO-76/2020)

आरक्षी केंद्र बेटमा ज़िला इन्दौर (म.प्र.) के अपराध क्रमांक–108 ⁄ 2020 अंतर्गत धारा–498–ए, 323 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 मध्य प्रदेश राज्य विरूद्ध कृष्णा से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण।

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र बेटमा ज़िला इन्दौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शिवनाथ मवई
अभियुक्त	कृष्णा पिता हेमराज चौहान, उम्र–29 वर्ष, निवासी ग्राम मेठवाडा थाना बेटमा ज़िला इन्दौर, म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दिलीप वर्मा अधिवक्ता।

<u>प्रारूप–ड</u>

अपराध की तारीख	22.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	29.02.2020
आरोप–पत्र की तारीख	06.03.2020

आरोपों की विरचना की तारीख	08.02.2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	18.07.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	24.09.2024
निर्णय की तारीख	24.09.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की
1	कृष्णा पिता हेमराज	22.03.2024	22.03.2024	धारा 498–ए, 323 एवं 506 भाग–2 भा. द.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

प्रारूप – च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायलयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	सुनीताबाई	फरियादी साक्षी

अ.सा.2	विरेंद्रसिंह गौड	विवेचक साक्षी
अ.सा.3	जितेंद्र	चक्षुदर्शी साक्षी

ख. <u>प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो</u> :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षूदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षूदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.1/अ.सा.क01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र.पी.2/अ.सा.क01	नक्शा मौका पंचनामा
3	प्र.पी.3/अ.सा.क01	पुलिस कथन
4	प्र.पी.4/अ.सा.क02	धारा 41–क का सूचना पत्र
5	प्र.पी.5/अ.सा.क02	अभियुक्त को गिरफतार न करने की सूचना
6	प्र.पी.6/अ.सा.क03	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण

1	निरंक	निरंक

ग. **न्यायालयीन प्रदर्श** :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. **आवश्यक वस्तुएं** :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 24-09-2024 को घोषित।)

01– अभियुक्त कृष्णा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए, 323 एवं 506 भाग–2 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 22.02.2020 को फरियादी के ससुराल गांव मेठवाडा में फरियादी ने अभियुक्त से खर्च के लिये रूपये मांगे तो फरियादी के पति होते हुए उसके साथ अश्लील शब्द उच्चारित कर कहा कि तू अपने घर से क्या लाई है कहते हुए फरियादी के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से क्रूरता कारित की, फरियादी सुनीता के साथ थप्पड मुक्की से मारपीट कर दाहिने हाथ में जलती हुई लकडी लगाकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 29.02.2020 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि

उसका विवाह दिनांक 29 अप्रेल 2013 को पूरे हिन्दू रीति रिवाज से कृष्णा चौहान निवासी ग्राम मेठवाडा के साथ हुआ था शादी के कुछ साल उसके पति ने उसे अच्छा रखा बद में उसे आये दिन बोलने लगा कि तू अपने घर से कुछ नहीं लाई कहकर उसके साथ मारपीट करने लगा उसका परिवार खराब न हो इस कारण वह सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। दिनांक 22.02.2020 को उसने उसके पति से खर्चे के लिये रूपये मांगे तो उसके पति कृष्णा ने उसके साथ गाली गुप्तार किया व कहने लगा कि तू अपने घर से क्या लाई है और उसके साथ थप्पड मुक्की से मारपीट की व उसके दाहिने हाथ में जलती हुई लकडी लगा दी जिससे उसका दाहिना हाथ जल गया उसके पति ने उससे कहा कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा इस डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई आज उसकी मां व उसके मामा घर पर आये तो उन्होंने उसके जले हुए हाथ के बारे में पुछा तो उसने उन्हें सारी घटना बताई बाद में उसकी मां, भाई जितेंद्र व मामा तोलाराम के साथ रिपोर्ट करने आई है। उक्त आशय की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बेटमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्0 108/2020, धारा–498–ए, 323 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन अंकित किये गये एवं अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर धारा 41–क दंप्रसं. का सूचना पत्र दिया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03– अभियुक्त को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किये जाने से इंकार किया गया। उसका अभिवाक् उसी के

शब्दों में लेख किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, अभियुक्त को बचाव में प्रवेश करवाय जाने पर अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04— **प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है कि :—**

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2020 को फरियादी के ससुराल गांव मेठवाडा में फरियादी ने अभियुक्त से खर्च के लिये रूपये मांगे तो फरियादी के पति होते हुए उसके साथ अश्लील शब्द उच्चारित कर कहा कि तू अपने घर से क्या लाई है कहते हुए फरियादी के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से कूरता कारित की ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुनीता के साथ थप्पड मुक्की से मारपीट कर दाहिने हाथ में जलती हुई लकडी लगाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. दोषमुक्ति या दोषसिद्धी ?

// निष्कर्ष एवं उसके आधार //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण //

05— साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सुविधा की दृष्टि से उक्त विचारणीय प्रष्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— फरियादी सुनीता (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियुक्त कृष्णा को उसका पति होना बताया है। उसके न्यायालयीन कथन से 10 वर्ष पूर्व उसका अभियुक्त कृष्णा के साथ समाज के रीति रिवाज अनुसार शादी हुई थी शादी के बाद वह उसके पति के साथ अच्छे से रही थी। उसका उसके पति से कभी कभार घरेलू बातो को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना बेटमा में प्रदर्श पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। पुलिस ने उसका ईलाज करवाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्श पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था।

07— फरियादी सुनीता (अ.सा.—1) ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में उसके द्वारा लिखवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन मामले का समर्थन न करने से फरियादी को अभियोजन द्वारा अविश्वसनीय मानकर सूचक प्रश्न पूछे गये जिस पर फरियादी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसे आये दिन कहता था कि वह उसके घर से कुछ लेकर नहीं आई है, अभियुक्त से उसने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट की थी और उसके दाहिने हाथ पर जलती हुई लकडी लगा दी थी जिससे उसका दाहिना हाथ जल गया था तथा उसकी मां व मामाजी घर आये तो उसके जले हुए हाथ के बारे में पुछा तो उसने सारी घटना बताने

वाली बात को पूर्णतः इंकार किया है व अभियोजन के मामले का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी–3 का कथन देने से इंकार किया है। उसने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसका पति उससे पैसे की मांग करता था व पैसे न देने के कारण उसके साथ मारपीट करता था। उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका व उसके पति का अब कोई विवाद नहीं है समझौता हो गया है और वह उसके बच्चे व पति के साथ रह रही है। फरियादी ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

08— साक्षी जितेंद्र (अ.सा.–3) ने कथन किया है कि वह फरियादी का भाई है। उसने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियुक्त को पहचानना बताया है। फरियादी सुनीताबाई का विवाह अभियुक्त कृष्णा से दिनांक 29.04.2013 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसकी बहन का अभियुक्त कृष्णा से विवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसकी बहन ने पुलिस थाना बेटमा पर की थी पुलिस ने उससे कोई पुछताछ नहीं की थी न ही उसके कथन लेना बताया है। अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन न करने से साक्षी को अभियोजन द्वारा अविश्वसनीय मानकर सूचक प्रश्न पूछे गये जिस पर साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त कृष्णा उसकी बहन को दहेज लाने के लिये परेशान करता था। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 29.02.2020 को उसके मामा व माता उसकी बहन के ससुराल गये थे तो उसकी बहन का हाथ जला हुआ था सुनीता से पुछने पर बताया था कि कृष्णा ने दहेज़ लाने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर जलती हुई लकडी उसके हाथ पर लगाना एवं यह बात किसी को नहीं बताने एवं डराना

बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट करना बताया है। साक्षी जितेंद्र ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

10– प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी विरेंद्रसिंह गौड (अ.सा.–2) ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 29.02.2020 को थाना बेटमा में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी ने उसके पति के विरूद्ध गाली गुप्तार करने व मारपीट करने संबंधी रिपोर्ट लिखाई थी, उसके द्वारा अपराध क्रमांक 108/2020 धारा 498–ए, 323 एवं 506 भादासं. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी प्रदर्श पी–1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। पीडिता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाना व विवेचना में घटनास्थल पर पहुंच कर नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैयार किया जाना व जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षीगण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये जाना बताया है। उसके द्वारा अभियुक्त संबंधी धारा 41–क दंप्रसं. का सूचना पत्र प्रदर्श पी–4 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, गिरफतार न करने की सूचना न्यायालय को दी थी जो प्रदर्श पी–5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने के लिये फरियादी के साथ उसकी मां जानीबााई व मामा तोलाराम आये थे। रिपोर्ट लिखने के पुर्व फरियादी से पुछताछ किया जाना बताया है। इस साक्षी ने फरियादी से पुछताछ किये बिना रिपोर्ट लेख करने तथा फरियादी को कोई चोट के निशान नहीं होने के सुझाव को गलत बताया है। साक्षी ने कथन थाने पर लेख करने व विवेचना थाने पर बैठकर पूर्ण करने के सुझाव को भी अस्वीकार किया है।

इस साक्षी की साक्ष्य से प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पूर्णतः अखंडित रही है।

11— फरियादी सुनीता (अ.सा.—1) एवं साक्षी जितेंद्र (अ.सा.—3) ने भी अपनी साक्ष्य में फरियादी के द्वारा लेख करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है, दोनों ही साक्षी ने अभियुक्त द्वारा दहेज मांगने के लिये क्रूरता कर फरियादी के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने की बात नहीं बतायी है। जबकि प्रकरण में विवेचक साक्षी विरेंद्रसिंह गौड (अ.सा.—2) ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के बताये अनुसार लेख किया जाना व फरियादी को चोट होने से उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाना तो बताया है किंतु विवेचक साक्षी की साक्ष्य का समर्थन फरियादी सुनीता की साक्ष्य से नहीं होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा दहेज को लेकर फरियादी को प्रताड़ित करने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन के मामले को बल प्राप्त नहीं होता है। अभियोजन को अपना मामला फरियादी तथा अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से स्थापित करना होता है जबकि फरियादी तथा हितबद्ध साक्षी जितेंद्र ने अभियोजन के प्रकरण का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकट नही हुये है। अभिलेख पर आयी उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2020 को फरियादी के ससुराल गांव मेठवाडा में फरियादी ने अभियुक्त से खर्च के लिये रूपये मांगे तो फरियादी के पति होते हुए उसके

साथ अश्लील शब्द उच्चारित कर कहा कि तू अपने घर से क्या लाई है कहते हुए फरियादी के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से क्रूरता कारित की, फरियादी सुनीता के साथ थप्पड मुक्की से मारपीट कर दाहिने हाथ में जलती हुई लकडी लगाकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

13— परिणामतः **अभियुक्त** कृष्णा पिता हेमराज चौहान, उम्र—29 वर्ष, निवासी ग्राम मेठवाडा थाना बेटमा ज़िला इन्दौर, म.प्र. को संदेह का लाभ देते हुये भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 498—ए, 323 एवं 506 भाग—2** के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

14— अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान प्रस्तुत प्रतिभूति एवं बंधपत्र प्रभाव मुक्त किये जाते हैं।

15— अभियुक्त द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में रहे हो तो व्यतीत की गई अवधि की गणना की जाकर धारा 428 दं0प्र0सं0 का निरोध अवधि का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

{श्रीमति रिजवाना कौसर}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर ज़िला इन्दौर (म0प्र0)

{श्रीमति रिजवाना कौसर}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर जिला इन्दौर(म0प्र0)

RIZVANA KAUSER
Digitally signed by RIZVANA KAUSER
Date: 2024.09.24 16:33:30 +0530